

जोधा निकाय जोधपुर नगर निगम (अग्नि), जोधपुर

क्रमांक :- अग्नि/13/JFS/ 2013-14/1766

दिनांक :- 10/10/13

श्री देवेन्द्र इन्दा

मै. विनियोग एंड इन्फ्रा कांवेरिशन

117/5 दासपा हाउस पीडब्ल्यूडी कॉलोनी

जोधपुर।

विषय : राजस्व ग्राम गेवा गांव में कुल क्षेत्रफल 22017.53 वर्ग मीटर पर निर्माणाधीन

रहवासीय बहुमंजिला भवनों की अंतकालीन अग्निशमन अनापति बाबत।

संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र 24.06.2013 एवं शपथ पत्र दिनांक 3.10.13 के संदर्भ में।

मान्यवर,

आपके प्रासंगिक पत्रानुसार एवं उसके संलग्न अनुच्छेद अनुसार आप द्वारा राजस्व ग्राम गेवा के खसरा नंबर 700/2, 700/3, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 व 711 में भूखंड संख्या 77 से 89, 115 से 145, 170 से 186 व 217 से 220 कुल क्षेत्रफल 22017.53 वर्ग मीटर डाउकिया हॉस्पिटल के पीछे सूर सागर रोड जोधपुर पर आपके निर्माणाधीन सात भवनों की अंतकालीन (Provisional) अग्नि शमन अनापति निम्न शर्तों पर भवन का निर्माण पूर्ण होने तक की अवधि हेतु जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई निर्माण स्वीकृति अनुसार ही किया जाएगा तथा आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र क्रमांक 5631 दिनांक 3.10.13 के अनुसार सातों भवनों के की प्रत्येक फ्लोर में तीन-तीन स्टेयरकेस का प्रावधान रख नया मानचित्र आगामी दस दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। तथा निर्माण के दौरान जन सुरक्षा की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाएगी।
2. भवन निर्माण पूर्ण होने पर भवन के भीतर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा।
3. भवन के सेट बैक एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। प्रथम तल पर अतिछाजन किए जाने पर अतिछाजन की उंचाई न्यूनतम 3.9 मीटर रखी जावेगी।
4. भवन के सेट बैक में निर्मित होने वाले भूमिगत वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक के कवर भारी अग्निशमन वाहनों का भार वहन करने में सक्षम होंगे।
5. राष्ट्रीय भवन मानक अनुसार भवन में लगाए जाने वाले अग्निशमन उपकरण, पम्प, वाटर मेन्स, उच्चतम क्वालिटी के होंगे। आपात स्थिति में भवन से निकासी हेतु प्रत्येक तल से सुरक्षित वैकल्पिक निकासी व्यवस्था आवश्यक होगी।
6. भवन का निर्माण पूर्ण होने पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के निरीक्षण, परीक्षण रखरखाव हेतु प्रशिक्षित अग्निशमक की नियुक्ति करनी होगी।
7. भवन में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में स्वचालित ऑटो कट रखनी होगी तथा विद्युत भार अनुसार उच्च स्तरीय विद्युत वायर एवं विद्युत उपकरणों का उपयोग करना होगा। तथा विद्युत व्यवस्था की अनापति विद्युत निरीक्षक से लेनी आवश्यक होंगी।
8. भवन में आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा निर्देश व निकासी सूचक रेडियम से अंकित किए जाएंगे।
9. भवन के निकासी मार्गों/सीढ़ियों पर आपात कालीन प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।
10. भवन निर्माण पूर्ण होने पर भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु आपात योजना बनाई जाकर प्रति उपलब्ध करानी होगी।
11. भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु भविष्य में राज्य सरकार/निगम द्वारा किसी प्रकार के निर्देश दिए जाने पर उसकी पालना प्रबंधन को करनी होगी।

संलग्न : शपथ पत्र दिनांक 3.10.2013

21/9/13
10/10

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर
जोधपुर, जोधपुर